संख्या-98/डीएसपी/9/(भाग-2)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 07 मार्च, 2016

परिपत्र सं0 03/03/16

विषय : अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में ।

आयोग को विभागों/संगठनों से उन अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई पर स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं जिनपर उक्त विषय पर आयोग के दिनांक 25.11.2014 के परिपत्र सं0 07/11/2014 को जारी करने से पहले अनुशासनिक कार्यवाही अधीन सहित प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में कार्रवाई की गई थी । इस विषय पर आयोग द्वारा पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों से, न्यायालय के कुछ निर्णय सामने आए थे जिन्हें आयोग के ध्यान में लाया गया था ।

2. आयोग ने न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के विवरणों पर विचार किया तथा एक दृष्टांत में, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(CAT), मुख्य बैंच, दिल्ली ने दिनांक 18.02.1997 तथा 02.04.1997 की छद्मनाम शिकायतों के आधार पर दोषी कर्मचारी को जारी किए गए दिनांक 14.10.2004 के आरोप पत्र को दिनांक 20.07.2005 के आदेश द्वारा रद्द किया था । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने इस विषय पर आयोग के दिनांक 29.06.1999 तथा 31.01.2002 के परिपत्रों पर विचार करते हुए आरोप पत्र को रद्द किया था । दिनांक 20.07.2005 के आदेश में, यह प्रेक्षित किया गया था कि दिनांक 14.10.2004 का आरोप पत्र विगत में प्राप्त छद्मनाम शिकायतों के आधार पर जारी किया गया था तथा इसलिए यह आयोग के दिनांक 29.06.1999 तथा 31.01.2002 के परिपत्रों का उल्लंघन है । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निष्कर्षों तथा प्रेक्षणों से उच्च न्यायालय सहमत हुआ तथा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के विरूद्ध दायर विभाग की रिट याचिका को प्रारंभ में ही खारिज कर दिया । उसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने भी मामले में विभाग की सिविल अपील को खारिज किया था । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 26.09.2003 के एक निर्णय (अन्य मामले में) पर आधारित है जिसमें यह प्रेक्षित किया गया था कि छद्मनाम शिकायत पर आधारित दिनांक 25.05.2000 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिनांक 29.06.1999 के परिपत्र के बाद की थी तथा अत: इसे रद्द किया जाना चाहिए था तथा यह निषेध (केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र में) कि ``उस तिथि पर सभी लंबित कार्यवाहियों पर कोई कार्रवाई कवर नहीं होगी`` ।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश/दिशानिर्देश निम्न हैं :

i. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 29.09.1992 का कार्यालय ज्ञापन सं0 321/4/910-एवीडी-III कि सामान्यतया अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि ऐसी शिकायतों में जांच का विकल्प रहे जिसमें सत्यापनीय विवरण हों ।

ii. आयोग का दिनांक 29.6.1999 का प्रारंभिक परिपत्र सं0 3(वी)/99/2 निर्धारित करता है कि अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए तथा इन्हें केवल फाईल कर देना चाहिए ।

iii. आयोग का दिनांक 31.1.2002 का परिपत्र सं0 98/डीएसपी/9 जिसमें दोहराया गया है कि किसी भी परिस्थिति में, अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कोई जांच प्रारंभ नहीं की जाए ।

iv. आयोग का दिनांक 11.10.2002 का परिपत्र सं0 98/डीएसपी/9 जिसमें 1999 के अपने पूर्व अनुदेशों का पुनरीक्षण किया गया है कि यदि कोई विभाग/संगठन अनाम/छद्मनाम शिकायतों में अभिकथित सत्यापनीय तथ्यों की जांच करने का प्रस्ताव देता है तो मामलों को मुख्य सतर्कता अधिकारी अथवा संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहमति हेतु आयोग को भेजा जाए ।

v. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 18.10.2013 का कार्यालय ज्ञापन सं0 104/76/2011-एवीडी.I - कि आरोपों की प्रकृति का ध्यान किए बिना अनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है तथा इन्हें केवल फाईल किया जाए ।

vi. आयोग के दिनांक 25.11.2014 के परिपत्र संख्या 07/11/2014 द्वारा दिनांक 11.10.2002 के परिपत्र को वापस लिया गया तथा दिनांक 29.06.1999 तथा 31.01.2002 के पिछले परिपत्रों को दोहराया गया कि अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए तथा ऐसी शिकायतों को फाईल कर देना चाहिए ।

4. चूंकि उक्त मुद्दे, जिनमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या शामिल है, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा मद्रास उच्च न्यायालय के प्रेक्षणों से उत्पन्न हुए हैं अत: आयोग द्वारा भारत के महान्यायवादी की राय मांगी गई थी । भारत के महान्यायवादी ने अपनी राय प्रस्तुत की तथा स्पष्ट किया कि जब तक स्पष्ट रूप से ना बताया जाए सभी कार्यकारी परिपत्र भविष्यप्रभावी प्रकृति के होते हैं तथा ये पूर्व से प्रभावी नहीं होता । केवल एक कानून ही पूर्वप्रभावी हो सकता है, यदि वह कानून स्पष्ट रूप से बताता है कि यह पूर्वप्रभावी होगा अथवा उस सीमा तक इसका आशय पूर्णतया स्पष्ट हो । आगे यह स्पष्ट किया गया है कि एक अनाम/छद्मनाम शिकायत, माना कि यह शिकायत वर्ष

1997 में की गई है अर्थात दिनांक 29.06.1999 के निषेधक परिपत्र से पहले की गई है तो सामान्यतया इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए किन्तु यदि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 1992 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इसमें सत्यापनीय सामग्री है तथा अन्वेषण आरम्भ किया जा चुका है, तो दिनांक 29.06.1999 के परवर्ती परिपत्र के जारी होने के बावजूद भी इसे इसके तार्किक निष्कर्ष पर लाना चाहिए ।

5. महान्यायवादी द्वारा प्रस्तुत राय के आधार पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं:

I. आयोग के दिनांक 25 नवम्बर, 2014 के वर्तमान अनुदेशों के अनुरूप अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तथा इन शिकायतों को फाईल कर देना चाहिए ।

II. तथापि, जहां अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर, केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दिनांक 29.06.1999 का परिपत्र जारी किए जाने से पहले कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी तथा दिनांक 29.06.1999 को लंबित थी वहां आगे कार्रवाई करके इसको तार्किक निष्कर्ष पर लाया जाए ।

III. जहां केन्द्रीय सतर्कता आयोग की पूर्व सहमति के साथ दिनांक 11.10.2002 तथा 25.11.2014 की अवधि के मध्य अनाम/छद्मनाम शिकायतों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी किन्तु यह अभी लंबित है वहां इन शिकायतों पर आगे कार्रवाई की अनुमति है ।

IV. जब इन शिकायतों पर कार्रवाई निषिद्ध थी (अर्थात 29.06.1999 तथा 11.10.2002 के मध्य) अथवा इन जांचों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन के बिना प्रारंभ किया गया था तब अनाम शिकायतों के अन्वेषण/सत्यापन के दौरान एकत्रित की गई सामग्री/साक्ष्य का उपयोग, इन सत्यापन/जांच में ध्यान में लाए गए कदाचारों पर अनुशासनिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने हेतु किया जा सकता है ।

6. सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी अनाम/छद्मनाम शिकायतों से उत्पन्न मामलों पर कार्रवाई करते सयम उपर्युक्त स्पष्टीकरणों को मार्गदर्शन/अनुपालन के लिए नोट करें ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
निदेशक

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।